.लय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

.जस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2024/235

दायरा तिथि : 11.07.2024

आदेश तिथि : 30-12-25

प्रार्थीगण :–

1. जयन्तिलाल पुत्र जेठाराम जाति ब्राह्मण
2. सुरेश कुमार पुत्र जेठाराम जाति ब्राह्मण
   निवासीगण भाटुण्द तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. मृत उम्मेदमल के कायम मुकाम :–
1/1 कान्तिलाल पुत्र उम्मेदमल
1/2 ललित पुत्र उम्मेदमल
1/3 राकेश पुत्र उम्मेदमल
1/4 गंगा पत्नि उम्मेदमल
1/5 सुशीला पुत्री उम्मेदल
1/6 निर्मला पुत्री उम्मेदल
1/7 उषा पुत्री उम्मेदमल
1/8 मृत गीता पुत्री उम्मेदमल के कामु:–
    1/8/1 मीनाषी पुत्री गीता दोहिती उम्मेदमल
    1/8/2 निचा पुत्री गीता दोहिती उम्मेदमल
    1/8/3 कृष्णा पुत्री गीता दोहिती उम्मेदमल
    1/8/4 नीरज पुत्र गीता दोहिता उम्मेदगल
2. जमनादेवी पत्नि ओम प्रकाश
3. निलेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश
4. प्रदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश जातिगण ब्राहमण निवासीगण भाटुन्द तह0 बाली

(मुहर: कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.))

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 30/12/25

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि **ग्राम भाटून्द पटवार हल्का, भाटून्द** तहसील बाली के खसरा नंबर 754 रकबा 2.26 हैक्टर किस्म चा. दो. जा. सो.,खसरा नंबर 754/2 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चा.दो. व खसरा नंबर 764 रकबा 0.0.5 हैक्टर किस्म ग.मु. बेरा में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 753/3, 754/1, 765/1 रकबा क्रमशः 0.08 हैक्टर, 0.08 हैक्टर, 0.08 हैक्टर किस्म चाही सोयम में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार 20 फीट् चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार....02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2024/235
अनवान जयंतिलाल वगैरा बनाम उम्मेदमल के कामु. कांतिलाल वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध पक्ष अप्रार्थीगण को भी जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बीजापुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2025/1526 दिनांक 05.06.2025 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.यह हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं।

2. यह हैं कि आवेदित रास्ता पूर्व में संयुक्त खातेदारी के विभाजन के दौरान् आवागमन हेतु अलग से रखा गया था जिसके खसरा नंबर 753/3 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 754/1 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 765/1 रकबा 0.08 हैक्टर है, जिसकी किस्म चाही सोयम ही दर्ज है, गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं हैं। विभाजन का नामान्तरकरण संख्या 1398 एवं शामलाती खाते की जमाबंदी प्रतिलिपि लग्न हैं।

3. यह हैं कि आवेदित रास्ता खसरा नंबर 753/3 रकबा 50 मीटर खुला है, शेष में कृषि कार्य एवं खसरा नंबर 754/1 का रास्ता मौके पर पडत है एवं खसरा नंबर 765/1 में कृषि कार्य किया जा रहा हैं। खसरा नंबर 753 रकबा 1.8875 एवं खसरा नंबर 753/2 रकबा 0.20 हैक्टर सार्वजनिक रास्ता पर स्थित है एवं खसरा नंबर 765 रकबा 1.97 हैक्टर एवं खसरा नंबर 765/2रकबा 0.20 हैक्टर भी सार्वजनिक रास्ते पर स्थित है एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नंबर 754 रकबा 2.28 हैक्टर एवं खसरा नंबर 754/2 रकबा 0.16 हैक्टर दोनों अप्रार्थीगणों के बीच में स्थित है, जिससे दोनो अप्रार्थीगण रास्ते हेतु रखी गई संयुक्त भूमि का अपने–अपने क्षैत्र में कृषि उपयोग करते हैं। अतः उपरोक्त खसरा नंबर रास्ता दर्ज होने पर रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं।

4. यह हैं कि आवेदित रास्ते हेतु प्रस्तावित हो रही भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं. सं0	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	753/3	0.08	चा.सो.	0.08 हैक्टर	प्रार्थीगणो एवं अप्रार्थीगणो की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है, जो रास्ता दर्ज किया जाना प्रस्तावित हैं।
	754/1	0.08	चा.सो.	0.08 हैक्टर	
	765/1	0.08	चा.सो.	0.08 हैक्टर	

5. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं हैं।

6 यह हैं कि भू0अ0 निरीक्षक, बीजापुर की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित खसरो की डी.एल.सी. दर 310000/–रूपये प्रति हैक्टर हैं।

प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7, अप्रार्थी संख्या 81/8/1 से 1/8/4 एवं अप्रार्थी संख्या 03 व 04 बावजुद नोटिस तामील के वकालतन/ असालतन अनुपस्थित रहे, जिससे इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। इसके साथ ही अप्रार्थी संख्या–02 की ओर से वकील श्री भुपेश परिहार द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, परन्तु कोई एतराज आपत्ति पर्याप्त समय/ अवसर के पेश नहीं किया गया। तथा रिपोर्ट प्राप्ति के बाद उपस्थित भी नहीं हुये।

जिससे तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण श्री ललित चतुर्वेदी ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये पुर्व में सह खातेदारो के मध्य हुये विभाजन के दौरान्

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2024/235

अनवान जयंतिलाल वगैरा बनाम उम्मेदमल के कामु. कांतिलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

रास्ते प्रयोजन संयुक्त तौर से रखी गई भूमि की किस्म रास्ता दर्ज किये जाने की दलील दी।

इस प्रकार प्रार्थीगण के उक्त प्रकरण में तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू०अ० बीजापुर अपनी जांच रिपोर्ट में यह स्वीकार करते हैं कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि तक पहुँच के लिये प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त सह खातेदारी भूमि के विभाजन के समय उक्त भूमि को रास्ते प्रयोजन ही छोडा था, अब मात्र किस्म चा.सोयम से बदल कर गै.मु. रास्ता दर्ज करना हैं। जिससे तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि तक पहुँच के लिये नया मार्गा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि **ग्राम भाटून्द पटवार हल्का, भाटून्द** तहसील बाली के खसरा नंबर 754 रकबा 2.26 हैक्टर किस्म चा.दो. जा. सो.,खसरा नंबर 754/2 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चा. दो. व खसरा नंबर 764 रकबा 0.0.5 हैक्टर किस्म ग.मु. बेरा की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 753/3, 754/1, 765/1 रकबा क्रमशः 0.08 हैक्टर, 0.08 हैक्टर, 0.08 हैक्टर किस्म चाही सोयम में से **800+800+800=2400** वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि जमा की सुनिश्चिता करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 310000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
753/3	0.08	800 वर्गमीटर	31	24800X2=49600	प्रार्थीगणो एवं अप्रार्थीगणो की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है, जो रास्ता दर्ज किया जाना प्रस्तावित हैं।
754/1	0.08	800 वर्गमीटर	31	24800X2=49600	
765/1	0.08	800 वर्गमीटर	31	24800X2=49600	
				कुल राशि 148800/– रूपये	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

(मुहर: न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.))

पेज लगातार....4

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2024/235

.नवान जयंतिलाल वगैरा बनाम उम्मेदमल के कामु. कांतिलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 148800/- (अक्षरे एक लाख अडतालीस हजार आठ सौ रूपये मात्र) रूपये रिकार्ड में दर्ज खातेदारान् को बतौर प्रतिकर राशि अदा की जावेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली
उपखण्ड अधिकारी,
बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/ 1610 – 1614
दिनांक : 31-12-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार,बाली तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, भाटून्द
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक जयंतिलाल पुत्र जेठालाल जाति ब्राहमण निवासी भाटून्द तहसील बाली वगैरा को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)